हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

(विनियम)

अधिसूचना

दिनांक 12 मार्च, 2006

क्रम संख्या 2/1(4)-87-4 एफ० आर०.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब वित्त नियम, जिल्द-I में हरियाणा राज्यार्थ को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम पंजाब वित्त नियम (हरियाणा प्रथम संशोधन) नियम, 2006, कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब वित्त नियम जिल्द-I में नियम 19.6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"19.6 फुटकर खर्च, भण्डार, फीस, प्रतिकर, पारिश्रमिक, इत्यादि, (नियम 8.3 तथा 15.2) :—

क्रम संख्या	शक्ति का स्वरूप	प्राधिकारी, जिसको शक्ति प्रत्यायोजित की जानी है	प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा
1.	इस नियम में अन्यथा न दिए गए ऐसे अनावर्ती व्यय की स्वीकृति।	प्रशासकीय विभाग	पूरी शक्तियां।
		विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में 1,00,000/- रुपये तक।
		नियन्त्रण अधिकारी	प्रत्येक मामले में 40,000/- रुपये तक।
		कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में 10,000/- रुपये तक।
2.	इस नियम में अन्यथा न दिए गए आवर्ती व्यय की स्वीकृति।	प्रशासकीय विभाग	पूरी शक्तियां।
		विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में 50,000/- रुपये तक।
		नियन्त्रण अधिकारी	प्रत्येक मामले में 20,000/- रुपये तक।
		कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में 5,000/- रुपये तक।
3.	(i) कम्प्यूटर खरीदने की स्वीकृति जिस में व्यक्तिगत कम्प्यूटरों तथा सहायक उपसाधन की खरीद भी शामिल है।	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सलाह के साथ प्रशासकीय विभाग	प्रत्येक कम्प्यूटर के लिए 50,000/- रुपये तक।
	(ii) सभी प्रकार के कम्प्यूटरों को किराए पर लेने तथा रखरखाव।	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सलाह के साथ प्रशासकीय विभाग	पूरी शक्तियां।
4.	बिजली, गैस, पानी, टेलीफोन, डाक टिकटों और कानूनी निकाय अथवा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा उद्ग्रहित करने के लिए प्रभारी की स्वीकृति।	कार्यालयाध्यक्ष	पूरी शक्तियां।
5.	फिक्सचर तथा फर्नीचर की खरीद तथा मरम्मत की स्वीकृति।	विभागाध्यक्ष	पूरी शक्तियां।
		कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में 1,000/- रुपये तक।
6.	किराया-भाड़ा, डेमरेज और घाट-भाड़ा प्रभारी की अदायगी स्वीकृत करना।	प्रशासकीय विभाग	पूरी शक्तियां।
		विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में 5,000/- रुपये तक।
		नियन्त्रण अधिकारी	प्रत्येक मामले में 2,000/- रुपये तक।
		कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में 500/- रुपये तक। बशर्ते कि प्रभार किसी भी कर्मचारी की लापरवाही के कारण उद्गृहित न हो।

क्रम संख्या	शक्ति का स्वरूप	प्राधिकारी, जिसको शक्ति प्रत्यायोजित की जानी है	प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा
7.	बिजली के पंखे, हीटरों, कूलरों इत्यादि के किराए प्रभार की स्वीकृति देना।	कार्यालयाध्यक्ष	पूरी शक्तियां।
8.	निम्नलिखित के लिए भवन या भूमि के लिए किराए की आदायगी की स्वीकृति देना— (i) सामान्य कार्यालय स्थान सुविधा (ii) गोदामों (iii) रिहायशी प्रयोजनों इत्यादि।	प्रशासकीय विभाग	(i) तथा (ii) के लिए 20,000/- रुपये तक तथा (iii) के लिए प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में प्रतिमास 10,000/- रुपये तक।
		विभागाध्यक्ष	कार्यालय स्थान सुविधा के लिए प्रतिमास 10,000/- तक और भूमि के लिए प्रतिमास 2,000/- रुपये।
		नियन्त्रण अधिकारी	कार्यालय स्थान सुविधा के लिए प्रतिमास 2,000/- रुपये तक।
		कार्यालय अध्यक्ष	कार्यालय स्थान सुविधा के लिए प्रतिमास 1,000/- रुपये तक। बशर्ते कि लोक निर्माण (भवन तथा सड़क) विभाग से स्थान सुविधा अपयोप्तता तथा उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाता है तथा मालिक के साथ पांच साल का करारनामा भी निष्पादित किया जाए।
9.	सरकारी कर्त्तव्यों का निर्वहन करते समय सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध संस्थापित दाण्डिक कार्यवाहियों में उनके प्रतिवाद में कानूनी प्रभार स्वीकृत करना।	ग्रुप 'क' तथा ग्रुप 'ख' सेवा के कर्मचारियों के लिए प्रशासकीय विभाग ग्रुप 'ग' तथा ग्रुप 'घ' सेवा के कर्मचारियों के लिए विभागाध्यक्ष	पूरी शक्तियां इस शर्त के अधीन रहते हुए कि प्रतिवाद की वास्तविक लागत विधि तथा विधायी विभाग की सहमति से प्रतिपूर्ति की जाएगी। -यथोपरि-
10.	ऐसे सरकारी कर्मचारियों के कानूनी खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए जिनके आचरण की निम्न खर्च के कारण पूछताछ की गई हो— (i) प्रतिवाद गवाह; और	ग्रुप 'क' तथा ग्रुप 'ख' सेवा के कर्मचारियों के लिए प्रशासकीय विभाग और ग्रुप 'ग' तथा 'घ' सेवा के कर्मचारियों के लिए विभागाध्यक्ष	गवाहों के सम्बन्ध में पूरी शक्तियां : (क) अभियोजन या प्रतिवाद के लिए बुलाए गए गैर-सरकारी गवाहों को खर्च की आदायगी सिविल न्यायालयों में हाजिर होने वाले गवाहों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय नियम जिल्द-I के अध्याय 5 ग में विनिर्दिष्ट दरों और आदेशों के अनुसार की जानी चाहिए; (ख) गवाह के तौर पर बुलाए गए सरकारी कर्मचारियों को उपस्थिति का सामान्य प्रमाण-पत्र दिया जाए ताकि वे पंजाब सिविल सेवा नियम जिल्द III, यात्रा भत्ता नियम के उपबन्धों अनुसार पात्रता आधार पर सामान्य यात्रा-भत्ते तथा दैनिक भत्ते प्राप्त कर सके जिनके लिए वे हकदार हैं; (ग) गैर-सरकारी गवाहों का खर्च उसी लेखा शीर्ष के नाम डाला जाना चाहिए जिसमें से शंकाधीन सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन विकलित किया जाता है; (घ) गैर-सरकारी गवाहों को भुगतान सम्बद्ध कार्यालयों/विभागों के फुटकर खर्च में से किया जाना चाहिए;

क्रम संख्या	शक्ति का स्वरूप	प्राधिकारी, जिसको शक्ति प्रत्यायोजित की जानी है	प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा
			(ङ) केवल उन गवाहों को ही खर्च का भुगतान किया जाना चाहिए जिन्हें आयोग या पूछताछ अधिकारी आवश्यक गवाह के रूप में घोषित करे।
	(ii) वकील की फीस	ग्रुप 'क' तथा ग्रुप 'ख' सेवा के कर्मचारियों के लिए प्रशासकीय विभाग	5,000/- रुपये तक।
		ग्रुप 'ग' तथा ग्रुप 'घ' सेवा के कर्मचारियों के लिए विभागाध्यक्ष	3,000/- रुपये तक :— (क) जब सरकारी कर्मचारी को किसी वकील के माध्यम से प्रतिनिधित्व की अनुमति दी जाती है तो वकील की फीस की प्रतिपूर्ति केवल उसी मामले में की जाएगी, जहां शंकाधीन अधिकारी/कर्मचारी अपनी सफाई देने में सफल हो जाए।
11.	हरियाणा विधि विभाग निर्देशिका में यथा परिभाषित नियन्त्रण अधिकारी की मंजूरी प्राप्त करके दायर किए गए दीवानी मुकद्दमें के सम्बन्ध में खर्च की स्वीकृति देना।	कार्यालय अध्यक्ष	पूरी शक्तियां।
12.	कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन सरकारी कर्मचारियों को प्रतिकर देना।	विभागाध्यक्ष	विधि परामर्शी से पहले प्राप्त की गई मन्त्रणा के अधीन रहते हुए पूरी शक्तियां।
13.	ग्रुप 'घ' के कर्मचारी, जो अपनी सरकारी ड्यूटी करते समय विशेष जोखिम के परिणामस्वरूप चोट लगने के कारण मृत हो गए हों अथवा मारे गए हों, उनके सम्बन्धियों को अन्त्येष्टि तथा अन्य खर्चे को पूरा करने के लिए नकद इनामों की मंजूरी देना।	कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में 5,000/- रुपये की अधिकतम राशि की सीमा के अधीन रहते हुए पूरी शक्तियां टिप्पणी : शब्द "विशेष जोखिम" की पंजाब सिविल सेवा नियम, जिल्द-II के नियम 8.26(7) तथा (8) में परिभाषित है।
14.	चार घण्टे तक के लिए सफाई कर्मचारी, पानी लाने-पिलाने वाले कर्मचारी, माली इत्यादि की अदायगी फुटकर खर्चों से की जानी है।	विभागाध्यक्ष	हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार उपायुक्त द्वारा नियत दरों पर पूरी शक्तियां।
15.	विभागीय परीक्षा प्रश्न-पत्रों बनाने और उत्तर पुस्तिकाएं जांचने हेतु खर्च की स्वीकृति देना।	विभागाध्यक्ष	(i) एक प्रश्न पत्र बनाने के लिए 500/- रुपये। (ii) प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के जांचने के लिए 10/- रुपये। (iii) प्रत्येक उम्मीदवार की प्रैक्टिकल और मौखिक परीक्षा के लिए 10/- रुपये।
16.	निम्नलिखित में लैक्चर देने के लिए अतिथि संकाय (गैस्ट फैकल्टी) को खर्च की स्वीकृति देना :—	संस्थान अध्यक्ष	500/- रुपये प्रति सत्र (लैक्चर) + और प्रतिदिन 50/- रुपये यात्रा-प्रभार।
	(i) राज्य संस्थान		
	(ii) अन्य संस्थानों	संस्थान अध्यक्ष	200/- रुपये प्रति सत्र (लैक्चर) + और प्रतिदिन 50/- रुपये यात्रा-प्रभार। सत्र से अभिप्राय है, लैक्चर की समय-सीमा, जो एक घण्टे से लेकर डेढ़ घण्टे तक हो सकती है।

क्रम संख्या	शक्ति का स्वरूप	प्राधिकारी, जिसको शक्ति प्रत्यायोजित की जानी है	प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा
17.	केवल कार्यालय प्रयोग के लिए अपेक्षित पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचार-पत्रों (केवल तीन संख्या में) की खरीद के लिए खर्च की स्वीकृति देना।	विभागाध्यक्ष	पूरी शक्तियां।
18.	(क) टेलीफोन बोर्ड हरियाणा द्वारा अनुमोदित पात्र अधिकारियों के कार्यालयों तथा घरों पर टेलीफोन साज-समान सहित नए टेलीफोन कनैक्शन के खर्च की स्वीकृति देना।	विभागाध्यक्ष	पूरी शक्तियां।
	(ख) केवल आपात स्थिति में अस्थायी तौर पर टेलीफोन लगाने के खर्च की स्वीकृति देना।	विभागाध्यक्ष	पूरी शक्तियां, बशर्ते कि अस्थायी तौर पर लगाया गया टेलीफोन तीन महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।
19.	पंजाब वित्त नियम जिल्द-I के परिशिष्ट 17 में उल्लिखित सप्लाई के सभी अनुमोदित स्त्रोतों से पूछताछ करने के बाद तथा निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान हरियाणा से, संविदा पर यदि उपलब्ध हो, पता करने के बाद स्थानीय बाजार से भंडार को सीधे ही खरीदने के खर्च की स्वीकृति देना।	प्रशासकीय विभाग	प्रत्येक मामले में 1,00,000/- रुपये तक।
		विभागाध्यक्ष	प्रत्येक कार्यालय के प्रधानों के नियन्त्रणाधीन वित्त वर्ष के दौरान किसी एक मद के लिए 75,000/- रुपये तक।
		नियन्त्रण अधिकारी	प्रत्येक कार्यालय प्रधान के नियन्त्रणाधीन वित्त वर्ष के दौरान किसी भी एक मद के लिए 25,000/- रुपये तक।
		कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मौके पर किसी भी एक मद के लिए 7,000/- रुपये तक बशर्ते वित्त वर्ष के दौरान उस मद से सम्बन्धित कुल खरीद की राशि 15,000/- रुपये से अधिक न हो।
20.	जब आपात परिस्थितियों में अनुमोदित सप्लाई स्त्रोतों से खरीद करना सम्भव न हो तो स्थानीय बाजार से सीधे खरीद के खर्च की स्वीकृति देना।	प्रशासकीय विभाग	प्रत्येक मामले में 30,000/- रुपये तक।
		विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में 20,000/- रुपये तक।
		नियन्त्रण अधिकारी	प्रत्येक मामले में 10,000/- रुपये तक।
		कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में 2,000/- रुपये तक।
			बशर्ते इन शक्तियों का प्रयोग करते समय मंजूरी आदेश में आपात स्थिति की स्पष्ट व्याख्या की गई हो।
21.	अपने कार्यालय के लिए तथा अपने अधीन कार्यालयों के लिए टाइपराइटर, फैक्स मशीन, सम्पूर्ण इण्टरकाम उपकरण, इलैक्ट्रानिक स्टैंसिल कटर, डिकटाफोन, कापिंग मशीन, डुपलीकेटर, डुपलीकेटिंग मशीन, फ्रेकिंग मशीन, ऐडरेसोग्राफ, फाइलिंग तथा इंडैकसिंग सिस्टम इत्यादि की खरीद पर होने वाले खर्च की स्वीकृति देना।	विभागाध्यक्ष	मुद्रण तथा लेखन सामग्री निर्देशिका में दी गई शर्तों तथा सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अधीन रहते हुए पूरी शक्तियां परन्तु इस शर्त के अधीन कि मशीनों को बोर्ड द्वारा किसी विचार-विमर्श के बाद मशीन को बदला जायेगा। नाकारा करने के लिए प्रार्थना प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर नाकारा प्रतिक्रिया पूरी करनी होगी। अन्यथा विभाग यह मान लेना कि प्रार्थना बोर्ड द्वारा स्वीकृत हो चुकी है। रेट संविदा निश्चित होने और नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग द्वारा परिचालित किए जाने के बाद, मशीनों की खरीद सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वयं सीधे ही की जाएगी।
22.	सरकारी गाड़ी (गाड़ियों) की मरम्मत पर होने वाले खर्च की स्वीकृति देना।	विभागाध्यक्ष	पूरी शक्तियां।

क्रम संख्या	शक्ति का स्वरूप	प्राधिकारी, जिसको शक्ति प्रत्यायोजित की जानी है	प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा
		कार्यालयाध्यक्ष	एक समय में 10,000/- रुपये तक बशर्ते कि गाड़ी की मरम्मत सरकार द्वारा, अनुमोदित कम्पनी के प्राधिकृत व्यवहारी भवन तथा सड़क वर्कशाप अथवा हरियाणा रोडवेज़ वर्कशाप से करवाई जायेगी।
23.	गाड़ी (गाड़ियों) खरीदने पर होने वाले खर्च की स्वीकृति देना।	प्रशासकीय विभाग	पूरी शक्तियां बशर्ते कि खरीद-निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान के माध्यम से की जाएगी।

1. न्याय प्रशासन विभाग

(i) महाधिवक्ता हरियाणा
(ii) विधि तथा विधायी विभाग
(iii) अभियोजन विभाग
(iv) जेल विभाग

दीवानी मामले

24.	सिविल, विविध और भूमि अर्जन मामलों में पैरवी करने हेतु फीस की अदायगी पर खर्च की स्वीकृति देना :—		
	(i) महाधिवक्ता,	न्याय प्रशासन	पूरी शक्तियां :—
	(ii) विधि परामर्शी,		(i) महाधिवक्ता हरियाणा की नियुक्ति की निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार।
	(iii) सहायक अर्थात् महाधिवक्ता की सहायता करने वाले गैर-सरकारी वकील,		(ii) किसी विशेष मामले में सरकार द्वारा जारी की गई निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार।
	(iv) सरकारी की और से प्रतिपादन करने वाले प्राईवेट विधि व्यवसायी।		(iii) किसी एक मामले में 500/- रुपये और अधिकतम 5,000/- रुपये की सीमा के अन्तर्गत रहते हुए इकट्ठे मामलों की स्थिति में 250/- रुपये प्रति अतिरिक्त मामला।
			(iv) एक मामले में 5,000/- रुपये और इकट्ठे मामलों की स्थिति में, अधिकतम 11,000/- रुपये की सीमा के अन्तर्गत रहते हुए प्रत्येक अतिरिक्त मामले के लिए 1,000/- रुपये।
25.	निम्नलिखित मामलों में महाधिवक्ता के निपटान पर दिये गए उपबन्ध से फीस की अदायगी पर होने वाले खर्च की स्वीकृति देना :—		
	(i) महाधिवक्ता और महाधिवक्ता के सहायक को दी जानें वाली फीसें और ऐसे मामलों में जहां वाद का विषय अधिक जटिल होने के कारण, उस की फीस निर्धारित न की जा सकती हो अथवा जहां विधि विभाग निर्देशिका में निर्धारित फीस अपर्याप्त लगती हो।	विधि परामर्शी	महाधिवक्ता के लिए अधिकतम 11,000/- रुपये की सीमा में रहते हुए 1,500/- रुपये प्रति पेशी।

क्रम संख्या	शक्ति का स्वरूप	प्राधिकारी, जिसको शक्ति प्रत्यायोजित की जानी है	प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा
	(ii) सरकार की ओर से वकील के रूप में फीस।	महाधिवक्ता	महाधिवक्ता के सहायक के लिए अधिकतम 5,000/- रुपये की सीमा में रहते हुए 500/- रुपये प्रति पेशी।
		विधि परामर्शी अथवा महाधिवक्ता जैसी भी स्थिति हो	वास्तविक रूप में हुई प्रत्येक पेशी के लिए 500/- रुपये और यदि पेशी स्थगित हो गई हो तो एक मामले में 5,000/- रुपये की अधिकतम सीमा में रहते हुए 200/- रुपये प्रति पेशी। हरियाणा विधि विभाग निर्देशिका में अधिकथित नियमों तथा उपरलिखित शर्तों और सीमा के अनुसार दी जाने वाली फीस के बिलों पर उपायुक्त प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
	फौजदारी मुकदमें		
26.	(1) फौजदारी, अर्ध-फौजदारी मामलों को संचालित करने के लिए फीस का भुगतान पर खर्च की स्वीकृति देना :—	न्याय प्रशासन	(क) महाधिवक्ता हरियाणा की नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार।
	(क) उच्च न्यायालय से भिन्न किसी अन्य अदालत में पेश होने के लिए महाधिवक्ता।		
	(2) निम्नलिखित मामलों में प्राईवेट विधि व्यवसायी को महाधिवक्ता के निपटान पर दिये गये उपबन्धों से फीस की आदायगी पर खर्च की स्वीकृति देना :— फीस के लिए—		
	(i) उच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करना।	महाधिवक्ता	एक मामले में 5,000/- रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक वास्तविक पेशी के लिए 500/- रुपये तक।
	(ii) उच्च न्यायालय में किसी गरीब अभियुक्त की पैरवी करना।	महाधिवक्ता	मुकदमा सुनने वाले न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर 5,000/- रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक वास्तविक पेशी के लिए 500/- रुपये तक।
	(iii) किसी सरकारी केस को गैर-सरकारी वकील द्वारा सरकारी अभियोजक के तौर पर अधीनस्थ न्यायालय में संचालित करने की फीस अथवा जब किसी गरीब अभियुक्त की पैरवी करने के लिए सत्र न्यायाधीश द्वारा किसी वकील को नियुक्त किया जाए, तो उसे दी जाने वाली फीस की स्वीकृति।	विधि परामर्शी	किसी एक मामले में 5,000/- रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, प्रत्येक वास्तविक पेशी के लिए 500/- रुपये और मामला स्थगित होने की स्थिति में 200/- रुपये। हरियाणा विधि विभाग निर्देशिका में निर्दिष्ट नियमों तथा उपरलिखित शर्तों और सीमा के अनुसार, उपायुक्त फीस के बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
27.	सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय अथवा दिल्ली न्यायालय में मुकदमों को संचालित करने के लिए पैनल वकीलों को फीसों की अदायगी के खर्च की स्वीकृति देना।	आवास आयुक्त हरियाणा भवन	पूरी शक्तियां। सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार इन फीस बिलों की अदायगी महाधिवक्ता हरियाणा द्वारा की

क्रम संख्या	शक्ति का स्वरूप	प्राधिकारी, जिसको शक्ति प्रत्यायोजित की जानी है	प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा
			जाएगी। नामिका में दर्ज वकील को फीस की अदायगी, सरकार द्वारा, समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार की जाएगी, परन्तु इस उद्देश्य हेतु वकील (वकीलों) को नामित करने से पूर्व लिखित रूप में उन की सहमति प्राप्त कर ली जाए तथा तदोपरान्त ही उनको नामित किया जाए।
	जेल विभाग		
28.	ऐसे व्यक्तियों को जो जेल विभाग में है नियोजित न हो, भगौड़े कैदियों को पुन: पकड़ने पर इनाम देना।	महानिदेशक, जेल	प्रत्येक मामले में 1,000/- रुपये तक।
29.	ऐसे व्यक्तियों को जो जेल विभाग में नियोजित न हो, जेल परिसर के भीतर महत्त्वपूर्ण सूचना देने पर इनाम देना।	महानिदेशक, जेल	प्रत्येक मामले में 250/- रुपये तक।
		अधीक्षक केन्द्रीय/जिला जेल	एक वर्ष में 500/- रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक केस के लिए 100/- रुपये तक।
30.	औजार तथा संयंत्रों उपकरण की खरीद के खर्च की स्वीकृति देना।	(i) महानिदेशक, जेल	पूरी शक्तियां।
		(ii) अधीक्षक केन्द्रीय/ जिला जेल	किसी एक मद के लिए 1,500/- तक।
		(iii) अधीक्षक, उप-जेल	किसी एक मद के लिए 1,000/- रुपये तक।
31.	भोजन सामग्री जैसे गेहूं, चना, दालें, लकड़ी, ईंधन, वनस्पति घी, तेल इत्यादि की सरकार द्वारा मंजूरशुदा स्त्रोतों से स्थानीय खरीद के खर्च की स्वीकृति देना।	प्रशासकीय विभाग	पूरी शक्तियां।
		महानिदेशक, जेल	किसी एक मद के लिये 2,00,000/- रुपये तक।
		अधीक्षक केन्द्रीय/जिला जेल	किसी एक मद के लिये 15,000/- रुपये तक।
		अधीक्षक, उप-जेल	किसी एक मद के लिये 5,000/- रुपये तक।
32.	भोजन सामग्री जैसे गेहूं, चना, दालें, लकड़ी, ईंधन, वनस्पति घी, तेल इत्यादि की आपात परिस्थितियों में सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करने के बाद, स्थानीय मार्किट से खरीद के खर्च की स्वीकृति देना।	प्रशासकीय विभाग	पूरी शक्तियां।
		महानिदेशक, जेल	किसी एक मद के लिये 50,000/- रुपये तक।
		अधीक्षक केन्द्रीय/जिला जेल	किसी एक मद के लिये 10,000/- रुपये तक।
		अधीक्षक, उप-जेल	किसी एक मद के लिये 2,000/- रुपये तक।
	(2) पशु पालन विभाग		
33.	स्थायी पशुधन खरीद समिति के माध्यम से पशुओं को खरीदने के खर्च की स्वीकृति देना।	निदेशक, पशुपालन	पूरी शक्तियां।
	(3) शिक्षा विभाग		
34.	किताबों की खरीद पर होने वाले खर्च की स्वीकृति देना।	(i) उच्चतर और उच्च विद्यालयों के प्रधान/शैक्षणिक संस्थानों के प्रधान।	उन के प्रभार अधीन संस्थानों के पुस्तकालयों के लिए पूरी शक्तियां परन्तु शर्त यह है कि खरीदी जाने वाली पुस्तकें शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित होनी चाहिएं।
		(ii) जिला शिक्षा अधिकारी/ राजकीय कालेजों के प्रधानाचार्य	सम्बन्धित अधिकारियों के अधीन शैक्षणिक संस्थानों के पुस्तकालयों के लिए पूरी शक्तियां परन्तु शर्त यह है

क्रम संख्या	शक्ति का स्वरूप	प्राधिकारी, जिसको शक्ति प्रत्यायोजित की जानी है	प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा
			कि ऐसी पुस्तकों के मामले में जिन की कीमत बिना डाक खर्च के 750/- रुपये प्रति पुस्तक से अधिक हो, निदेशक, विद्यालय/उच्चतर शिक्षा की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो।
		(iii) केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय और जिला पुस्कालय के पुस्तकाध्यक्ष	प्रति पुस्तक 750/- रुपये तक (बिना डाक खर्च के)।
35.	मानकी किस्म के ऐसे रासायनिक और वैज्ञानिक उपकरणों की, जिनके विशेष निरीक्षण या परीक्षण की जरूरत नहीं होती और विज्ञान अनुदान की राशि में से स्थानीय मार्किट से खरीदा जा सकता है बशर्ते कि ऐसी वस्तुएं दवाईयों की दुकानों से न खरीदी गई हों, के क्रय खर्च की मंजूरी देना।	राजकीय कालेजों के प्रधानाचार्य	प्रत्येक मद के लिये 5,000/- रुपये तक।
36.	आपात परिस्थितियों में अनुमोदित सप्लाई स्त्रोतों से जांच पड़ताल अथवा परामर्श किए बिना खुले बाजार से चाक खरीदने के खर्च की स्वीकृति देना।	(i) मिडिल स्कूलों के लिए उप मण्डल शिक्षा अधिकारी	एक समय में 5,000/- रुपये तक।
		(ii) प्राथमिक स्कूलों के लिए खण्ड शिक्षा अधिकारी	एक समय में 1,000/- रुपये तक।
		(iii) उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के प्रधान	एक समय में 500/- रुपये तक।
		(4) आबकारी तथा कराधान विभाग	
37.	आबकारी तथा कर चोरी के मामलों के बारे में पुख्ता सूचना देने वाले (सार्वजनिक व्यक्ति) को इनाम देना।	प्रशासकीय विभाग	किसी भी एक मामले में 20,000/- रुपये तक।
		आबकारी तथा कराधान आयुक्त	किसी भी एक मामले में अधिकतम 5,000/- रुपये।
		उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त	किसी भी एक मामले में 1,000/- रुपये।
		(5) वन विभाग	
38.	राजस्व खर्च के तौर पर वर्गीकृत मदों पर खर्च की स्वीकृति देना।	वन मण्डल अधिकारी	पूरी शक्तियां।
39.	वन चोरी मामलों के बारे सूचना देने वाले (सार्वजनिक व्यक्ति) को इनाम देना।	वन संरक्षक	पूरी शक्तियां, बशर्ते प्रत्येक मामले में दी जाने वाली राशि 1,000/-रुपये से अधिक नहीं होगी।
		वन मण्डल अधिकारी	प्रत्येक मामले में 1,000/- रुपये तक, बशर्ते इनाम की कुल राशि जब्त की गई वन सम्पत्ति की कुल कीमत जिसमें किए गए जुर्माने की राशि भी शामिल है, के एक चौथाई से ज्यादा न हो और जुर्माने की यह राशि एक साल में 10,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

क्रम संख्या	शक्ति का स्वरूप	प्राधिकारी, जिसको शक्ति प्रत्यायोजित की जानी है	प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा
40.	भण्डार, औजार, संयंत्र, विश्राम गृहों के लिए फर्नीचर, तम्बू इत्यादि की खरीद पर "पूंजी खर्च" की स्वीकृति देना।	प्रशासकीय विभाग	पूरी शक्तियां।
		प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रत्येक मामले में 2,00,000/- रुपये तक।
		मुख्य वन संरक्षक	प्रत्येक मामले में 1,00,000/- रुपये तक।
		वन संरक्षक	प्रत्येक मामले में 50,000/- रुपये तक।
		वन मण्डल अधिकारी	प्रत्येक मामले में 20,000/- रुपये तक।
41.	वन विभाग से सम्बन्धित सभी योजना स्कीमों के अधीन भण्डार और सामग्री खरीदने के खर्च की स्वीकृति देना।	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	पूरी शक्तियां।
		मुख्य वन संरक्षक	प्रत्येक मामले में 1,00,000/- रुपये तक।
		वन संरक्षक	प्रत्येक मामले में 50,000/- रुपये तक।
		वन मण्डल अधिकारी	प्रत्येक मामले में 20,000/- रुपये तक।
			बशर्ते कि सभी वस्तुएं निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान के माध्यम से खरीदी जाएं।

(6) मछली पालन विभाग

42.	मछली शरण स्थान पर चोरी में शिकार करने वालों की सूचना देने वाले (सार्वजनिक व्यक्ति) को इनाम की स्वीकृति देना।	निदेशक, मछली पालन	प्रत्येक मामले में 500/- रुपये तक पूरी शक्तियां।
		उप निदेशक, मछली पालन	वर्ष में 10,000/- रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक मामले में 500/- रुपये तक।
		मछली पालन विकास अधिकारी	वर्ष में 5,000/- रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक मामले में 500/- रुपये तक।
43.	मछली बीज फार्मों के रखरखाव के लिए खर्च की स्वीकृति देना।	प्रशासकीय विभाग	पूरी शक्तियां।
		निदेशक, मछली पालन	प्रत्येक कार्य के लिये 25,000 रुपये तक।
		उप निदेशक, मछली पालन	प्रत्येक कार्य के लिये 10,000 रुपये तक।
		मछली पालन विकास अधिकारी	प्रत्येक कार्य के लिये 5,000 रुपये तक।

(7) सामान्य प्रशासन विभाग

44.	हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा राज्य अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए नियुक्त व्यक्तियों, जो सरकारी कर्मचारी न हो, को दिये जाने वाले पारिश्रमिक की अदायगी की स्वीकृति देना।	प्रशासकीय विभाग	पूरी शक्तियां।
		हरियाणा लोक सेवा आयोग/ हरियाणा राज्य अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष	वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में अधिकतम 5,000/- रुपये तक।
45.	राज भवन की डिस्पैन्सरी के लिए खुले बाजार से दवाईयों की खरीद के खर्च की स्वीकृति देना।	सचिव, राज्यपाल, हरियाणा	पूरी शक्तियां, बशर्ते खरीद, किफायती ढंग से, कोटेशनें प्राप्त कर के और सबसे कम कोटेशन को स्वीकार करने के बाद, की जाए।

क्रम संख्या	शक्ति का स्वरूप	प्राधिकारी, जिसको शक्ति प्रत्यायोजित की जानी है	प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा
46.	कर्मचारियों जिनको राजभवन की फुटकर राशि से वेतन दिया जाता है के इलावा श्रेणी IV के कर्मचारियों के लिए घरेलू पशु, कपड़े वर्दियां, पेटियां, बिल्ले तथा कपड़ों की खरीद के खर्च की स्वीकृति देना।	सचिव, राज्यपाल, हरियाणा	पूरी शक्तियां।
47.	सिविल सचिवालय की फुटकर राशि से प्रभारी अनावर्ती खर्च, जिसका अन्यथा कोई प्रावधान न किया गया हो, की स्वीकृति देना।	अवर सचिव (सामान्य) हरियाणा सरकार सचिवालय स्थापना	किसी एक समय के लिए अधिकतम 2,000/- रुपये तक।
	(8) स्वास्थ्य विभाग		
48.	मानसिक रोग हस्पताल से भागे किसी मानसिक रोगी को पकड़ कर वापस लाने वाले सार्वजनिक व्यक्ति (व्यक्तियों) को दिये जाने वाले इनाम की अदायगी की स्वीकृति देना।	महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा तथा निदेशक, प्रधान मैडीकल कालेज, रोहतक	प्रत्येक रोगी के लिए अधिकतम 250/- रुपये की सीमा के अधीन रहते हुए पूरी शक्तियां।
49.	मानसिक रोगियों के मनोरंजन पर होने वाले खर्च की स्वीकृति देना।	महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं तथा निदेशक, प्रधान मैडीकल कालेज, रोहतक	एक वर्ष में अधिकतम 10,000/- रुपये तक।
50.	विशिष्ट बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, दवाईयों की असाधारण मांग को पूरा करने के लिये स्थानीय तौर पर दवाईयों की खरीद के खर्च को स्वीकृति देना।	महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं तथा निदेशक, प्रधान मैडीकल कालेज, रोहतक	किसी भी एक मौके के लिए 20,000/- रुपये तक।
		सिविल सर्जन/प्रधान चिकित्सा अधिकारी/क्षेत्रीय मलेरिया अधिकारी	किसी एक मौके के लिए 10,000/- रुपये तक।
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/खण्ड चिकित्सा अधिकारी	किसी एक मौके के लिए 5,000/- रुपये तक।
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	किसी एक मौके के लिए 2,000/- रुपये तक।
51.	जहां इन नियमों में किसी विशेष शक्ति का उल्लेख न किया गया हो, वहां (निर्धारित स्त्रोतों से चिकित्सा स्टोर उपकरण और दवाईयां खरीदने के लिए) फुटकर से प्रभार्य अनावर्ती खर्च की स्वीकृति देना।	(i) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, तथा निदेशक, प्रधान मैडीकल कालेज, रोहतक	किसी एक मौके के लिए 1,00,000/- रुपये तक।
		(ii) सिविल सर्जन/प्रधान चिकित्सा अधिकारी (पी एम ओ)/ क्षेत्रीय मलेरिया अधिकारी (जैड एम ओ)	किसी एक मौके के लिए 50,000/- रुपये तक।
		(iii) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक	किसी एक मौके के लिए 10,000/- रुपये तक।
		(iv) सिविल हस्पताल/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रभारी-चिकित्सा अधिकारी	किसी एक मौके के लिए 2,000/- रुपये तक।

क्रम संख्या	शक्ति का स्वरूप	प्राधिकारी, जिसको शक्ति प्रत्यायोजित की जानी है	प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा
			आपूर्ति तथा निपटान विभाग की नियमावली में निहित संहिता उपबन्धों तथा उपबन्ध का अनुकरण करने के बाद खरीद निहायत किफायती ढंग से की जाए।
52.	सरकारी भवनों में स्थित स्वास्थ्य संस्थानों में छोटी मरम्मतें, परिवर्धन परिवर्तन तथा रखरखाव करने पर होने वाले खर्च की स्वीकृति देना।	प्रशासकीय विभाग	पूरी शक्तियां।
		महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं और निदेशक, प्रधान मैडीकल कालेज, रोहतक	प्रत्येक काम के लिए 50,000/- रुपये तक।
		सिविल सर्जन/प्रधान चिकित्सा अधिकारी/क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधीक्षक।	प्रत्येक काम के लिए 30,000/- रुपये तक।
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/ खण्ड चिकित्सा अधिकारी	प्रत्येक काम के लिए 10,000/- रुपये तक।
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	प्रत्येक काम के लिए 2,000/- रुपये तक।
			इस शर्त के अधीन कि काम, दरों की उपयुक्तता सुनिश्चित करने तकनीकी औपचारिकताएं तथा संहिता उपबन्धों का अनुपालन करने के बाद किसी भी स्थानीय एजेन्सी से करवाया जाएगा।

(9) उद्योग विभाग

53.	लघु उद्योगों के विकास से सम्बन्धित योजना (योजनाओं) के अधीन भण्डारों और सामग्री की खरीद के खर्च की स्वीकृति देना।	निदेशक, उद्योग विभाग	प्रत्येक योजना के लिए पूरी शक्तियां बशर्ते खरीद निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान के माध्यम से की जाए।

(10) पुलिस विभाग

54.	किसी भी सूचना देने वाले (सार्वजनिक व्यक्ति) को ठोस सूचना देने पर, जिससे किसी अपराधी की पहचान/गिरफ्तारी हो सके, को ईनाम देना।	महानिदेशक, पुलिस	पुलिस नियमों के अधीन रहते हुए पूरी शक्तियां।
		महानिरीक्षक, पुलिस (रेंज)	पुलिस नियमों के अधीन रहते हुए 5,000/- रुपये तक।
		उप-महानिरीक्षक, पुलिस (रेंज)	पुलिस नियमों के अधीन रहते हुए 2,000/- रुपये तक।
		पुलिस अधीक्षक और प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मधुबन	पुलिस नियमों के अधीन रहते हुए 1,000/- रुपये तक।
55.	फिंगर प्रिंट ब्यूरो (अंगुली छाप ब्यूरो), मधुबन में काम करने वाले व्यक्तियों के प्रयोगार्थ चश्मे खरीदने पर होने वाले खर्च की स्वीकृति देना।	महानिदेशक पुलिस	किसी भी एक मद के लिए 5,000/- रुपये तक।
		निदेशक, फिंगर प्रिंट ब्यूरो (अंगुली छाप ब्यूरो)	किसी भी एक मद के लिए 1,000/- रुपये तक।
56.	प्रशिक्षण के लिए गैर मानिक गोला बारूद स्थानीय बाजार से खरीदने की स्वीकृति देना।	महानिदेशक पुलिस	पूरी शक्तियां।
		उप-महानिरीक्षक पुलिस	किसी भी एक मद के लिए 5,000/- रुपये तक।

क्रम संख्या	शक्ति का स्वरूप	प्राधिकारी, जिसको शक्ति प्रत्यायोजित की जानी है	प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा
57.	हरियाणा सरकार के अधिकार क्षेत्र वाले इलाके में रेलवे द्वारा भारत के राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्था के सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन द्वारा किए गए खर्चों से सम्बन्धित बिलों की पुस्तक हस्तान्तरण द्वारा समायोजन की स्वीकृति देना।	महानिदेशक, पुलिस	पूरी शक्तियां।
58.	इंजीनियरिंग विभाग के लिए भारतीय रेलवे संहिता 1961 के पैरा 1946, 1957 और 1958 के अनुसार रेल विभाग जिन भवनों के लिए किराया वसूल कर सकता है, इस किराए की अदायगी की स्वीकृति देना।	(i) महानिदेशक, पुलिस	पूरी शक्तियां।
		(ii) रेलवे और यातायात पुलिस हरियाणा के उप-महानिरीक्षक	2,000/- रुपये प्रति मास तक।
		(iii) अधीक्षक रेलवे, पुलिस	750/- रुपये प्रति मास तक।
59.	विशिष्ट बीमारी और किसी असाधारण मांग को पूरा करने के लिए पुलिस हस्पताल/डिस्पेंसरी के लिए स्थानीय तौर पर दवाईयां खरीदना।	महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, हरियाणा सशस्त्र पुलिस/उप महानिरीक्षक पुलिस, निदेशक, पुलिस ट्रेनिंग कांलेज, मधुबन	किसी एक मौके के लिए 10,000/- रुपये तक।
		पुलिस अधीक्षक, कमांडैंट हरियाणा सशस्त्र पुलिस, प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मधुबन	किसी एक मौके के लिए 2,000/- रुपये तक।

(11) मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग

60.	आपातिक मांग में निपटाए जाने वाले कार्य को प्राईवेट प्रैसों से छपवाने के लिए वास्तविक खर्च से अधिक खर्च की मंजूरी देना।	नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग	मुद्रण एवं लेखन सामग्री नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए एक वित्त वर्ष में 5,000/- रुपये तक।
61.	प्राईवेट प्रैसों में किए जाने वाले छपाई और जिल्द बन्दी के काम जिन की अदायगी लघु शीर्ष "प्राईवेट में छपाई" प्रैसों या लिथोग्राफी, जैसी भी स्थिति हो, से की जाती है, उसकी स्वीकृति देना।	नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग	पूरी शक्तियां।

(12) लोक सम्पर्क विभाग

62.	सरकारी कर्मचारियों के इलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रैस को सहयोग देने अथवा विभागीय नाटक और भजन मण्डलियों के लिए तैयार किए गए लेख, ड्रामाज, लघुरूपक और गीत के लिए उन्हें दी जाने वाली फीसों की अदायगी के खर्च की स्वीकृति देना।	प्रशासकीय विभाग	प्रत्येक मामले में 1,000/- रुपये तक।
		निदेशक, लोक सम्पर्क, हरियाणा	प्रत्येक मामले में 500/- रुपये तक।

क्रम संख्या	शक्ति का स्वरूप	प्राधिकारी, जिसको शक्ति प्रत्यायोजित की जानी है	प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा
63.	विभागीय प्रकाशनों के लिए लेख लिखने, पुस्तकों लिए पाण्डुलिपियां तैयार करने, पुस्तिका लिखने, पेंटिंग तैयार करने, फोटोग्राफ खींचने तथा कलात्मक नमूने तैयार करने के लिए व्यक्तिगत सहयोग देने वाले व्यक्तियों को, की जाने वाली अदायगी, के खर्च की स्वीकृति देना।	प्रशासकीय विभाग	प्रत्येक मामले में 1,000/- रुपये तक।
		निदेशक, लोक सम्पर्क, हरियाणा	प्रत्येक मामले में 500/- रुपये तक।

(13) राजस्व विभाग (टिकटें)

64.	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 अथवा न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 के अधीन किसी अपराधी को सजा दिलवाने में ठोस योगदान देने वाले किसी सार्वजनिक व्यक्ति को इनाम की स्वीकृति देना।	वित्त आयुक्त (राजस्व)	पूरी शक्तियां।
		कैलक्टरज	किसी भी एक मामले में 1,000/- रुपये तक।

(14) परिवहन विभाग

65.	पैट्रोल, मोबाइल-आयल और स्नेहक (लुबरिकैन्टस) की खरीद पर खर्च की स्वीकृति देना।	महाप्रबन्धक, हरियाणा परिवहन	पूरी शक्तियां।
66.	मरम्मत, सर्विस करने और छोटे औजारों की खरीद सहित अन्य फुटकर खर्चों की स्वीकृति देना।	परिवहन आयुक्त	पूरी शक्तियां।
		उप परिवहन नियन्त्रक (तकनीकी)	एक मास में 30,000/- रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक मद के लिए 2,000/- रुपये।
		महाप्रबन्धक, हरियाणा परिवहन	एक मास में 25,000/- रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक मद के लिए 1,000/- रुपये।
67.	महत्तवपूर्ण मेलों के दौरान स्टाफ के कर्मचारियों को जो सामान्य ड्यूटी समय के बाद भी बसें चलाते हैं, को साधारण भोजन और जलपान करवाने के लिये खर्च की स्वीकृति देना।	महाप्रबन्धक, हरियाणा परिवहन	उन कर्मचारियों जिन्होंने वास्तविक तौर पर काम किया है, किन्तु अतिरिक्त समय के लिए पात्र नहीं हैं, को 20/- रुपये प्रति व्यक्ति की दर से एक समय में 150/- रुपये।
68.	विज्ञापन और प्रचार पर होने वाले खर्च की स्वीकृति देना।	परिवहन आयुक्त	पूरी शक्तियां।
		उप-नियन्त्रक परिवहन (तकनीकी)	प्रति वर्ष 5,000/- रुपये तक।
		महाप्रबन्धक, हरियाणा परिवहन	प्रति वर्ष 2,000/- रुपये तक।
69.	ढांचे सहित पूरी बसें खरीदने पर खर्च की स्वीकृति देना।	परिवहन आयुक्त	पूरी शक्तियां परन्तु शर्त यह है कि खरीद, निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान के माध्यम से प्रभावित होगी।
70.	प्लांट्स और मशीनों की खरीद पर खर्च की स्वीकृति देना।	परिदहन आयुक्त	पूरी शक्तियां।
		उप परिवहन नियन्त्रक (तकनीकी)	एक मास में कुल 30,000/- रुपये की सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक मद के लिए 10,000/- रुपये तक।
		महाप्रबन्धक, हरियाणा परिवहन	एक मास में कुल 10,000/- रुपये के अधीन रहते हुये प्रत्येक मद के लिए 1,000/- रुपये तक।

क्रम संख्या	शक्ति का स्वरूप	प्राधिकारी, जिसको शक्ति प्रत्यायोजित की जानी है	प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा
			परन्तु शर्त यह है कि खरीद निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान के माध्यम से की जाए।
71.	मामूली दुर्घटनाग्रस्त बसों की मरम्मत पर खर्च की स्वीकृति देना।	परिवहन आयुक्त	पूरी शक्तियां।
		महाप्रबन्धक, हरियाणा परिवहन	प्रत्येक मामले में 2,000/- रुपये तक।
72.	दुर्घटना के कारण न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से उत्पन्न होने वाले प्रतिकर के लिए दावों पर खर्च की स्वीकृति देना।	परिवहन आयुक्त	पूरी शक्तियां, परन्तु शर्त यह है कि ऐसे सभी मामलों, जहां व्यक्तिगत लापरवाही का पता चलता है, उसकी सूचना वित्त विभाग के माध्यम से महालेखाकार को भेजी जाए और कोई अदायगी करने से पूर्व विधि परामर्शी की सलाह ली जाए।
73.	न्यायालय पंचाट से भिन्न मामलों में दुर्घटनाओं के कारण उत्पन्न होने वाले प्रतिकर के दावों पर खर्च की स्वीकृति देना।	प्रशासकीय विभाग	प्रत्येक मामले में 25,000/- रुपये तक।
		परिवहन आयुक्त	प्रत्येक मामले में 5,000/- रुपये तक।
		महाप्रबन्धक, हरियाणा परिवहन	प्रत्येक मामले में 1,000/- रुपये तक।
			परन्तु सभी मामले, जहां व्यक्तिगत लापरवाही का पता चलता है, उस की सूचना वित्त विभाग के माध्यम से महालेखाकार को भेजी जाए और कोई अदायगी करने से पूर्व विधि परामर्शदाता की सलाह भी ली जाए।
74.	मोटर दुर्घटना मुआवजा अधिकरण (एम०ए०सी०टी०) मामलों में खर्च की स्वीकृति देना :—	प्रासासकीय विभाग	पूरी शक्तियां।
		परिवहन आयुक्त	पांच लाख रुपये तक।
	(1) उच्च न्यायालय अथवा जिला स्तर पर लोक अदालत में निपटाए गए मामले।	महाप्रबन्धक, हरियाणा परिवहन	1.50 लाख रुपये तक।
75.	टायरज और ट्यूब्ज खरीदने पर खर्च की स्वीकृति देना।	महाप्रबन्धक, हरियाणा परिवहन	पूरी शक्तियां, इस शर्त के अधीन रहते हुये कि :—
			(i) खरीद निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान द्वारा निर्धारित दरों पर की जाएगी;
			(ii) टायरज और ट्यूब्ज की खरीद एक समय में एक तिमाही की अपेक्षितता से अधिक नहीं होनी चाहिए;
			(iii) बदले गए टायरज-ट्यूब्ज जितने किलोमीटर चले हों अपने कार्यालय में जांच के लिए परिवहन आयुक्त को सूचना भेजी जाये।
76.	ड्राईवरों, कंडक्टरों और अन्य कर्मचारियों, जिन्हें वर्दी पहनना अपेक्षित हो, को वर्दियां सप्लाई करने के खर्च की स्वीकृति देना।	विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष।	आपूर्ति एवं निपटान विभाग द्वारा विहित दरों और नियमों के अधीन रहते हुए पूरी शक्तियां।

क्रम संख्या	शक्ति का स्वरूप	प्राधिकारी, जिसको शक्ति प्रत्यायोजित की जानी है	प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा
	(15) महिला एवं बाल विकास विभाग		
77.	सम्पूरक शिशु विकास सेवाओं के अन्तर्गत अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम के अधीन खाद्य पदार्थ खरीदने के खर्च की स्वीकृति देना।	(i) विभागाध्यक्ष	पूरी शक्तियां।
		(ii) सभी उपायुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त	पूरी शक्तियां।

टिप्पण :—

(1) पंजाब वित्त नियमावली जिल्द 1 के अध्याय XVII में बजट उपबन्धों के अनुसार और अध्याय XVIII में यथा उपबन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर के ही इन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।

(2) मण्डलों के आयुक्त और उपायुक्त क्रमशः विभागाध्यक्षों और नियन्त्रण अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(3) नियम 19.4 के नीचे टिप्पण में यथा वर्णित अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग उच्च प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है।

(4) वर्ष से अभिप्राय वित्त वर्ष से है अर्थात् जो प्रथम अप्रैल से शुरू हो कर आगामी 31 मार्च को समाप्त होगा"।

भास्कर चैटर्जी,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

FINANCE DEPARTMENT

(REGULATION)

Notification

The 12th March, 2006

No.2/1(4)-87-4FR .—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 283 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Financial Rules, Volume I, in their application to the State of Haryana, namely :—

1. These rules may be called the Punjab Financial Volume I (Haryana first Amendment) Rules, 2006.

2. In the Punjab Financial Rules, Volume-I, for rule 19.6, the following rule shall be substituted, namely :—

"19.6 Contingencies, stores, fees, compensation, remuneration etc. (Rules 8.3 and 15.2) :—

Serial Number	Nature of power	Authority to which the power is delegated	Extent of powers delegated
1.	To sanction non-recurring expenditure, not otherwise provided for in this rule	Administrative Departments Heads of Departments	Full powers. Upto Rs. 1,00,000/-. in each case.
		Controlling Officers	Upto Rs. 40,000/- in each case.
		Heads of offices	Upto Rs. 10,000/- in each case.
2.	To sanction recurring expenditure not otherwise provided for in this rule	Administrative Departments Heads of Departments	Full Powers. Upto Rs.50,000/- in each case.
		Controlling Officers	Upto Rs.20,000/- in each case
		Heads of offices	Upto Rs.5,000/- in each case.
3.	(i) To sanction purchase of Computers including personal computers and accessories	Administrative Departments in consultation with I.T. Department	Upto Rs. 50,000/- for each Computer
	(ii) Hire and maintenance of computers of all kinds	Administrative Departments in consultation with I.T. Department	Full Powers.
4	To sanction charges for: Electricity, gas, water, telephone, postage stamps and taxes levied by statutory body or any other authority	Heads of offices	Full Powers.
5	To sanction purchase and repairs of fixtures and furniture.	Heads of Departments Heads of offices	Full powers. Upto Rs.1,000/- in each case.
6	To sanction payment of Freight, demurrage and wharfage charges	Administrative Departments Heads of Departments	Full powers. Upto Rs. 5,000/- in each case.
		Controlling Officers	Upto Rs.2,000/- in each case.
		Heads of offices	Rs. 500/- in each case. subject to the conditions that the charges are not levied due to the negligence of any official.

Serial Number	Nature of power	Authority to which the power is delegated	Extent of powers delegated
7	To sanction hire charges of electric fans, heaters, coolers etc.	Heads of Offices	Full powers
8	To sanction the payment of rent for building or land for :	Administrative Department	Upto Rs.20,000/- for (i) and (ii) and Upto Rs.10,000/- per mensem in each individual case for (iii)
	(i) ordinary office accommodation,	Heads of Departments	Upto Rs.10,000/- per month for the office accommodation and Rs. 2,000/- per month for land
	(ii) Godowns,		
	(iii) residential purposes etc.	Controlling officers	Upto Rs.2,000/-per month for office accommodation
		Heads of offices	Upto Rs.1,000/- per month for office accommodation Subject to the conditions that the certificate of non- availability and reasonableness of accommodation is obtained from B and R Department and the agreement with the owner is also executed for five years.
9	To sanction the Legal Charges for defence of Government employees in criminal proceedings instituted against them while discharging the official duties.	Administrative Departments for employees of Group "A" and "B" service	Full powers subject to the condition that the actual cost of the defence shall be reimbursed with the concurrence of Law and Legislative Department.
		Heads of Departments for employees of Group "C" and "D" service	-Do-
10	To reimburse the legal expenses to a Government employee whose conduct has been the subject of enquiry for expenditure on account of:- (i) Defence witnesses, and	Administrative Departments for employees of Group "A" and "B" service and Heads of Departments for employees of Group "C" and "D" service	Full powers in the case of witnesses: (a) Payment of expenses to non-official witnesses summoned for the prosecution or defence, should be made according to the rates specified in Chapter 5-C of Volume-I of the High Court Rules and orders in respect of witnesses attending Civil Courts; (b) Government employees summoned as witnesses should be given the usual certificates of attendance to enable them to draw their normal travelling allowance and the daily allowance to which they are entitled in accordance with the provisions of the Punjab Civil Services Rules, Volume III, Travelling Allowance Rules; (c) the expenditure on non-official witnesses should be debited to the

Serial Number	Nature of power	Authority to which the power is delegated	Extent of powers delegated
			same head of account to which the pay of the delinquent Officer/ Official concerned is debitable; (d) payment to non-official witnesses should be made out of the contingent grants of the offices/ departments concerned; (e) the charges of those witnesses only should be paid whom the commission or Inquiry Officer declares to be necessary witnesses.
	(ii) Fees of Counsel.	Administrative Departments for employees of Group "A" and "B" service	Upto Rs.5,000/-
		Heads of Departments for employees of Group "C" and "D" service	Upto Rs. 3,000/- (a) When the Government employee is allowed to be represented by a counsel, reimbursement of the fees of the counsel should be allowed in cases where the delinquent officer/ official is successful in clearing himself.
11	To sanction expenditure in connection with civil suits instituted with the sanction of the Controlling Authority as defined in the Haryana Law Department Manual.	Heads of Offices	Full Powers.
12	To grant Compensation to Government employees under Workmen's Compensation Act.	Heads of Departments	Full Powers subject to the advice of Legal Remembrancer being obtained first.
13	To grant cash rewards to meet funeral and other unavoidable expenses to the relations of all Government employees of group "D" service, who are killed or died of injury received as a result of special risk of office in the performance of their duties	Heads of Offices	Full powers subject to the maximum of Rs.5,000/- in each case. **Note:** The term "special risk" is defined in rule 8.26 (7) and (8) of Punjab Civil Services Rules, Volume-II.
14	To engage upto four hours part time sweeper, water man, gardener etc. chargeable to contingencies.	Heads of Departments	Full Powers at the rates fixed by Deputy Commissioner as per policy of Government of Haryana.
15.	To sanction expenditure for setting departmental examination papers and evaluation of answer books.	Heads of Departments	(i) Rs. 500/- for setting of one paper. (ii) Rs. 10/- for evaluation of each answer book. (iii) Rs.10/- for practical and *viva-voce* examination for each candidate.

Serial Number	Nature of power	Authority to which the power is delegated	Extent of powers delegated
16.	To sanction expenditure to guest faculty for delivering lecture in: -		
	(i) State Institute	Head of Institute	Rs. 500/- per session plus Rs.50/-conveyance charges per day.
	(ii) Other Institutes	Head of Institute	Rs. 200/- per session plus Rs. 50/-conveyance charges per day.
			Session means duration of lecture ranging from one hour to one and half hours.
17.	To sanction expenditure for: - Purchase of books, periodicals and newspapers (only three in numbers) required for official use only.	Heads of Departments	Full powers
18	(a) To sanction expenditure on New Telephone connections including accessories for the offices and also at the residence of entitled officers approved by the Telephone Board, Haryana;	Heads of Departments	Full Powers
	(b) to sanction expenditure on temporary installation of telephone in emergent cases only.	Heads of Departments	Full powers subject to the condition that temporary installation should not exceed three months.
19.	To sanction expenditure on direct purchase of stores from the local market after exhausting all the approved sources of supply mentioned in Appendix 17 of the Punjab Financial Rules, Volume II and the rate contract arranged by the Director, Supplies and Disposals, Haryana, if available.	Administrative Department Heads of Departments	Upto Rs.1,00,000/- in each case Upto Rs.75,000/- for any one item during a financial year in respect of each Head of offices under his control.
		Controlling Officers	Upto Rs.25,000/- for any one item during a financial year in respect of each Head of offices under his control.
		Heads of Offices	Upto Rs.7,000/- for any one item on each occasion subject to the condition that the aggregate purchases relating to such an item during the course of financial year do not exceed the amount of Rs.15,000/-
20.	To sanction expenditure on direct purchases of stores from the local market in emergent circumstances, when it is not possible to exhaust the approved sources of supply.	Administrative Departments Heads of Departments Controlling Officers Heads of Offices	Upto Rs.30,000/- in each case Upto Rs.20,000/- in each case Upto Rs.10,000/- in each case Upto Rs.2,000/- in each case Provided emergency is clearly explained in the sanctioning order while exercising these powers.
21	To sanction expenditure on purchase of typewriters, fax-machine, dedicated	Heads of Departments	Full powers subject to the scale fixed by the Government and conditions

Serial Number	Nature of power	Authority to which the power is delegated	Extent of powers delegated
	intercom equipments, electronic stencil cutter, Dictaphones, copying machine, duplicator, duplicating machine, franking machine, addressographs, filing and indexing system, etc., for themselves and offices subordinate to them.		in the Printing and Stationery Manual and to the provisions that replacement of machines is done after consideration by the Board and that condemnation process is completed within 60 days of the receipt of the request for condemnation otherwise the department will presume that the request has been accepted by the Board. After the rate contract has been finalized and circulated by the Controller, Printing and Stationery, the purchases will be effected direct by the department itself.
22.	To sanction expenditure on repairs of Government vehicle(s).	Heads of Departments Heads of Offices	Full Powers Upto Rs. 10,000/- at one time subject to the condition that the repair be carried out from authorized dealer of Company as approved by the Government, Building and Road Workshop or Haryana Roadways Workshop.
23.	To sanction expenditure on purchase of vehicle (s).	Administrative Departments	Full powers subject to the condition that the purchase be effected through Director, Supplies and Disposals.
	1. ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT		
	(i) Advocate General Haryana (ii) Law and Legislative Department (iii) Prosecution Department (iv) Jail Department		
24	To sanction expenditure on payment of fees to conduct civil, miscellaneous and land acquisition cases to:—	Civil Cases	
	(i) Advocate General,	Administration of Justice	Full powers: — (i) as per terms and conditions of appointment of Advocate General, Haryana.
	(ii) Legal Remembrancer		(ii) as per terms and conditions issued by the Government in a particular case.
	(iii) Assistant *i.e.* Private Counsel, assisting to the Advocate General.		(iii) Rs. 500/- in one case and in bunch cases Rs.250/- per additional case subject to maximum of Rs.5,000/-
	(iv) Private Legal Practitioners engaged to plead on behalf of Government		(iv) Rs. 5,000/- in one case and in bunch cases Rs.1,000/- per additional case subject to a maximum of Rs.11,000/-.

Serial Number	Nature of power	Authority to which the power is delegated	Extent of powers delegated
25	To sanction expenditure on payment of fees from the provision placed at the disposal of Advocate General in the following cases: -		
	(i) Fees to the Advocate General, Assistant to the Advocate General and in cases in which the subject matter of the suit is incapable of being assessed in money value or when the scale of fees laid down in the Law Department Manual proves to be insufficient.	Legal Remembrancer	For Advocate General Rs. 1500/- per hearing subject to maximum of Rs.11,000/-
		Advocate General	For Assistant to Advocate General Rs. 500/- per hearing and subject to maximum of Rs. 5,000/-.
	(ii) Fees as counsel for Government.	Legal Remembrance or the Advocate Generalas the case may be	Upto Rs.500/- for each effective hearing, if adjourned then Rs. 200/- subject to a maximum of Rs. 5,000/- in a case Deputy Commissioners to Counter-sign fee bills as per rules laid down in the Haryana Law Department Manual and as per conditions and extent mentioned above.
26.	(1) To sanction expenditure on payment of fees to conduct criminal, quasi-criminal cases:-	Criminal Cases	
	(a) Advocate General for appearing in any court other than High Court.	Administration of Justice	(a) as per terms and conditions of appointment of Advocate General, Haryana.
	(2) To sanction expenditure on payment of fees from the provision placed at the disposal of Advocate General to private legal practitioners in the following cases: — Fees for—		
	(i) Representing the Government in the High Court.	Advocate-General	Upto Rs.500/-for each effective hearing subject to a maximum of Rs.5,000/- in a case.
	(ii) defending a poor accused in the High Court.	Advocate-General	Upto Rs. 500/- for each effective hearing subject to a maximum of Rs.5,000/- in a case on production of certificate signed by the Judge hearing the case.
	(iii) Fees for conducting a Government case by Private Counsel engaged as Public Prosecutor in Subordinate Courts or when engaged by the Sessions Judge to defend a poor accused.	Legal Remembrancer	Upto Rs.500/- for each effective hearing, if adjourned then Rs. 200/- subject to a maximum of Rs.5,000/- in a case. Deputy Commissioners to countersign fee bills, as per rules laid down in the Haryana Law Department Manual and as per conditions and extent mentioned above.

Serial Number	Nature of power	Authority to which the power is delegated	Extent of powers delegated
27.	To sanction expenditure for payment of fees to the Panel Advocates engaged for conducting cases in the Supreme Court/Delhi High Court or Delhi Courts.	Resident Commissioner, Haryana Bhawan	Full powers. As per rates fixed by the Government and the payment of these fee bills is to be made by the Advocate General, Haryana. The advocate on panel shall be paid fees as fixed by the Government from time to time. However, willingness of the advocate(s) may be obtained in advance in writing to this effect and advocate be empanelled only thereafter.
	JAIL DEPARTMENT		
28.	To grant rewards to any person not employed in Jail Deptt. for recapture of escaped prisoners	Director General of Prisons	Upto Rs. 1,000/- in each case.
29.	To grant rewards to any person not employed in the Jail Department for furnishing valuable information within Jail premises.	Director General of Prisons	Upto Rs.250/- in each case.
		Superintendent Central/ District Jail	Upto Rs.100 in each case subject to maximum of Rs.500/- in a year.
30.	To sanction expenditure on purchase of tool and plant / implements	(i) Director General of Prisons	Full powers.
		(ii) Superintendent Central / District Jail	Upto Rs. 1,500/- for any one item.
		(iii) Superintendent Sub- Jail	Upto Rs. 1,000/- for any one item.
31.	To sanction expenditure on local purchase of dietary articles, such as wheat, gram, pulses, fire wood, vegetable ghee, oils etc. from Government approved sources.	Administrative Department	Full powers.
		Director General of Prisons	Upto Rs.2,00,000/-for any one item.
		Superintendent Central / District Jail	Upto Rs. 15,000/- for any one item.
		Superintendent Sub Jail	Upto Rs. 5,000/- for any one item.
32.	To sanction expenditure on local purchase of dietary articles, such as wheat, gram, pulses, fire wood, vegetable ghee, oils etc. from local market in emergent cases after observing all codal provisions.	Administrative Department	Full powers.
		Director General of Prisons	Upto Rs.50,000/- for any one item.
		Superintendent Central / District Jail	Upto Rs. 10,000/- for any one item.
		Superintendent Sub Jail	Upto Rs. 2,000/- for any one item.
	(2) ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT		
33.	To sanction expenditure on purchases of animal(s) through the permanent livestock purchase committee.	Director, Animal Husbandry	Full powers.
	(3) EDUCATION DEPARTMENT		
34.	To sanction expenditure on purchase of books.	(i) Heads of Higher and High School/Heads of Educational Institution	Full powers, for libraries of institutions under their charge; provided that the books are approved by the Education Department.

Serial Number	Nature of power	Authority to which the power is delegated	Extent of powers delegated
		(ii) District Education Officers/Principal of Government Colleges	For libraries of educational institutions under their respective control; provided that in the case of books the cost of which excluding postage exceeds Rs.750/- per book, the sanction of Director School/ Higher Education is obtained.
		(iii) Librarian Central/State Library and District Library	Upto Rs.750/- per book (excluding postage).
35.	To sanction expenditure on purchase of chemicals and scientific instruments of standard description locally out of science grant which do not require special inspection and testing; provided the articles are not to be procured from the medical stores.	Principals of Government Colleges	Upto Rs.5,000/- for each item.
36.	To sanction expenditure on purchase of chalks from the open market in emergent circumstances without making enquiry or consultation from approved sources of supply.	(i) Sub Divisional Education Officers for Middle Schools	Upto Rs.5,000/- at one time.
		(ii) Block Education Officers for Primary Schools	Upto Rs.1,000/- at one time
		(iii) Heads of High/Senior Secondary Schools	Upto Rs. 500/- at one time.
	(4) EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT		
37	To grant rewards to informer (a public person) for giving a substantial information in Excise and Tax evasion cases.	Administrative Department	Upto Rs.20,000/- in any one case.
		Excise and Taxation Commissioner	Maximum of Rs.5,000/- in any one case.
		Deputy Excise and Taxation Commissioner	Rs.1,000/- in any one case.
	(5) FOREST DEPARTMENT		
38	To sanction expenditure on works items classified as revenue expenditure.	Divisional Forest Officers	Full Powers.
39	To grant rewards to informer (a public person) in Forest theft cases.	Conservator of Forest	Full powers subject to the condition that each case shall not exceed Rs. 1,000/.
		Divisional Forest Officer	Upto Rs.1,000/- in each case and provided that the total amount of the reward does not exceed one-fourth of the estimated value of the property confiscated plus the amount of any fine imposed and further subject to maximum amount of Rs.10,000/- in a year.
40	To sanction "Capital expenditure" on purchase of: —	Administrative Department	Full Powers.
	Stores, tools, plant, rest-house furniture, tents etc.	Principal Chief Conservator of Forests	Upto Rs.2,00,000/- in each case.

Serial Number	Nature of power	Authority to which the power is delegated	Extent of powers delegated
		Chief Conservator of Forest	Upto Rs. 1,00,000/- in each case.
		Conservator of Forest	Upto Rs.50,000/- in each case.
		Divisional Forest Officers	Upto Rs.20,000/- in each case.
41	To sanction expenditure on purchase of Stores and material under all Plan Schemes relating to the Forest Department.	Principal Chief Conservator of Forest	Full powers.
		Chief Conservator of Forest	Upto Rs. 1,00,000/- in each case.
		Conservator of Forest	Upto Rs. 50,000/- in each case.
		Divisional Forest Officer	Upto Rs. 20,000/- in each case; Provided that the purchases are effected through the Director, Supplies and Disposals.
	(6) FISHERIES DEPARTMENT		
42	To grant a reward to informer (a public person) for detecting poachers in fish sanctuaries.	Director of Fisheries	Full powers upto Rs. 500/- in each case.
		Deputy Director of Fisheries	Upto Rs.500/- in each case subject to maximum of Rs. 10,000/- in a year.
		Fisheries Development Officer	Upto Rs.500/- in each case subject to maximum of Rs. 5,000/- in a year.
43	To sanction expenditure on maintenance of fish seed farms	Administrative Department	Full Powers.
		Director, Fisheries	Upto Rs.25,000/- per work.
		Deputy Director, Fisheries	Upto Rs.10,000/- per work.
		Fisheries Development Officer	Upto Rs.5,000/- per work.
	(7) GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT		
44	To sanction expenditure on payment of remuneration to persons other than Government employees employed in connection with the examinations held by the Haryana Public Service Commission and Haryana State Subordinate Staff Selection Commission	Administrative Department	Full powers.
		Chairman of the Haryana Public Service Commission/ Haryana State Subordinate Staff Selection Commisison	Upto the maximum of Rs.5000/- in each individual case during a financial year.
45	To sanction expenditure on purchase of medicines for Raj Bhawan Dispensary from the open market.	Secretary to Governor, Haryana	Full powers; subject to conditions that purchases are made in an economical manner after inviting quotations and accepting the lowest one.
46	To sanction expenditure on purchase of domestic animal, clothing, uniforms, belts, badges and clothing to class-IV employees other than employees paid from contingencies in Raj Bhawan.	Secretary to Governor, Haryana	Full powers.

Serial Number	Nature of power	Authority to which the power is delegated	Extent of powers delegated
47	To sanction non-recurring expenditure chargeable to contingencies of the Civil Secretariat not otherwise provided for.	Under Secretary (General) to Government, Haryana Secretariat Establishment	Upto a maximum of Rs.2,000/- for any one time.
		(8) HEALTH DEPARTMENT	
48	To sanction the payment of reward to a public person(s) who apprehend and bring back to the Mental Hospital any mental patient, who has escaped therefrom.	Director General, Health Services, Haryana and Director Principal, Medical College, Rohtak	Full powers subject to maximum of Rs. 250/- for each patient.
49	To sanction expenditure on recreation of mental patients.	Director General, Health Services/Director Principal, Medical College, Rohtak	Upto maximum of Rs 10,000/- per annum.
50	To sanction expenditure on purchase of medicines locally in case of exceptional illness/natural calamities to meet the extra ordinary demand.	Director General, Health Services and Director Principal, Medical College, Rohtak	Upto Rs.20,000/- for any one occasion.
		Civil Surgeon/Principal Medical Officer/Zonal Malaria Officer	Upto Rs.10,000/- for any one occasion.
		Senior Medical Officer/ Block Medical Officer	Up to Rs.5,000/- for any one occasion.
		Medical Officer Incharge Community Health Centre/ Primary Health Centre	Upto Rs.2,000/- for any one occasion.
51	To sanction non-recurring expenditure chargeable to contingencies (to purchase medical stores equipment and medicines through prescribed sources) where no special power is prescribed in these rules.	(i) Director General, Health Services and Director Principal, Medical College, Rohtak	Upto Rs.1,00,000/- for any one occasion.
		(ii) Civil Surgeon/ Principal Medical Officer / Zonal Malaria Officer	Upto Rs.50,000/- for any one occasion.
		(iii) Senior Medical Officer/ Medical Superintendent	Upto Rs.10,000/- for any one occasion.
		(iv) Medical Officer Incharge Civil Hospital/ Community Health Centre/Primary Health Centre	Upto Rs.2,000/- for any one occasion.
			The purchase be effected in most economical manner after following codal provisions and provision prescribed in manual of Supplies and Disposal Department.

Serial Number	Nature of power	Authority to which the power is delegated	Extent of powers delegated
52	To sanction expenditure on petty repairs, additions, alterations and maintenance of Health Institutions situated in Government buildings.	Administrative Department	Full powers.
		Director General, Health Services and Director Principal, Medical College, Rohtak	Upto Rs. 50,000/- for each work.
		Civil Surgeon / Principal Medical Officer/Zonal Medical Officer and Medical Superintendent	Upto Rs. 30,000/- for each work.
		Senior Medical Officer/ Block Medical Officer	Upto Rs. 10,000/- for each work.
		Medical Officer Incharge Community Health Centre / Primary Health Centre	Upto Rs.2,000/- for each work subject to the condition that the work will be got executed from the local agency after ascertaining reasonability of rates and after observing the necessary technical formalities and codal provisions.
	(9) INDUSTRIES DEPARTMENT		
53	To sanction expenditure on purchase of stores and material under scheme(s) pertaining to development of small scale industries.	Director, Industries	Full powers for each scheme, provided that the purchases are effected through the Director, Supplies and Disposals.
	(10) POLICE DEPARTMENT		
54	To grant rewards to informers (a public person) for giving substantial information which may lead to identification/arrest of culprit.	Director General of Police	Full powers subject to police rules.
		Inspector General of Police (Range).	Upto Rs.5,000/- subject to police rules.
		Deputy Inspector General of Police (Range)	Upto Rs.2,000/- subject to police rules.
		Superintendent of Police and Principal, Police Training College, Madhuban	Upto Rs. 1,000/- subject to police rules.
55	To sanction expenditure on purchases of spectacles for the use of men serving in the Fingers Print Bureau at Madhuban.	Director General of Police	Upto Rs.5,000/- for any one item.
		Director Finger Print Bureau	Upto Rs.1,000/- for any one item.
56	To sanction expenditure on local purchase of non-standard ammunition for training.	Director General of Police	Full powers.
		Deputy Inspector General of Police	Upto Rs.5,000/- for any one item.
57.	To accept for adjustment by book transfer the bills relating to expenditure incurred by the Railway Administration in connection with the arrangements made for the protection of the President of India during his tours by railways in areas under the jurisdiction of Haryana Government.	Director General of Police	Full powers.

Serial Number	Nature of power	Authority to which the power is delegated	Extent of powers delegated
58.	To sanction the payment of rent of building for which the Railway Department can charge rent in accordance with Para 1946, 1957 and 1958 of Indian Railway Code for Engineering Department of 1961.	(i) Director General of Police	Full powers.
		(ii) Deputy Inspector General of Railway and Traffic Police, Haryana	Upto Rs.2,000 per month.
		(iii) Superintendent of Railway Police	Upto Rs.750 per month.
59.	To purchase medicines locally in case of exceptional illness and in order to meet extraordinary demands of Police Hospital/ Dispensary.	Inspector General/Deputy Inspector General, Haryana Armed Police/Deputy Inspector General of Police, Director Police Training College,Madhuban	Upto Rs.10,000 for any one occasion.
		Superintendent of Police, Commandant Haryana Armed Police, Principal Police Training College, Madhuban	Upto Rs.2,000 for any one occasion.
	(11) PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT		
60	To sanction expenditure on account of emergent requisitions for printing at private presses in excess of the actual cost of work.	Controller, Printing and Stationery	Upto Rs. 5,000/- in a financial year subject to the provisions of the Printing and Stationery Manual.
61	To sanction expenditure on account of printing and binding work executed at private presses, payable from the minor heads "printing at private" presses or Lithography, as the case may be.	Controller, Printing and Stationery	Full powers.
	(12) PUBLIC RELATION DEPARTMENT		
62	To sanction expenditure for payment of fees to persons other than Government employees for articles, dramas, skits and songs prepared by them for contribution to the press or for the departmental dramas and Bhajan parties	Administrative Department	Upto Rs.1,000/- in each case.
		Director, Public Relation, Haryana	Upto Rs.500/- in each case.
63	To sanction expenditure for payment to individual's contribution for writing of articles, manuscripts for books and pamphlets or painting, photographs transparencies and art designs to departmental publications.	Administrative Department	Upto Rs.1,000/- in each case.
		Director, Public Relation , Haryana	Upto Rs.500/- in each case.
	(13) REVENUE DEPARTMENT (STAMPS)		
64	To grant reward to a public person who has definitely contributed to the conviction of any offender under the Indian Stamp Act, 1899, or the Court Fees Act, 1870.	Financial Commissioner (Revenue)	Full powers.
		Collectors	Upto to Rs.1,000/- in any one case.

Serial Number	Nature of power	Authority to which the power is delegated	Extent of powers delegated
	(14) TRANSPORT DEPARTMENT		
65	To sanction expenditure on the purchase of petrol, mobile oil and lubricants.	General Manager, Haryana Roadways	Full powers.
66	To sanction expenditure on repairs, servicing and other contingencies, including purchase of minor tools.	Transport Commissioner Deputy Transport Controller (Technical)	Full powers. Rs. 2,000/- on each item subject to maximum Rs. 30,000/- in a month.
		General Managers, Haryana Roadways	Rs.1,000/- on each item subject to maximum Rs.25,000/- in a month.
67	To sanction expenditure on simple meals and refreshments to be served to the staff working beyond normal duty hours in connection with plying of bus service on important fairs.	General Managers, Haryana Roadways	Rs.150/- at a time @ Rs 20/- per head for those employees who have actually worked but are not entitled for over time.
68	To sanction expenditure on advertisement and publicity.	Transport Commissioner Deputy Transport Controller (Technical)	Full powers. Upto Rs.5,000/- per annum.
		General Manager, Haryana Roadways	Upto Rs. 2,000/- per annum.
69	To sanction expenditure on purchase of buses complete with bodies.	Transport Commissioner	Full powers subject to the condition that the purchase be effected through Director, Supplies and Disposals.
70	To sanction expenditure on purchase of plants and machinery.	Transport Commissioner	Full powers.
		Deputy Transport Controller (Technical)	Upto Rs. 10,000/- on each item subject to total of Rs. 30,000/- in a month.
		General Manager, Haryana Roadways	Upto Rs.1,000/- on each item subject to a total of Rs.10,000/- a month; Provided that the purchases are made through Director, Supplies and Disposals.
71	To sanction expenditure on repairs of buses involved in minor accidents.	Transport Commissioner	Full powers.
		General Manager, Haryana Roadways	Upto Rs.2000/- in each case.
72	To sanction expenditure on claims for compensation arising out of accidents awarded by court of law.	Transport Commissioner	Full powers;provided that all cases which reveal negligence on the part of individuals should be communicated to the Accountant General through the Finance Department and advice of Legal Remembrancer is obtained before making any payment.

Serial Number	Nature of power	Authority to which the power is delegated	Extent of powers delegated
73	To sanction expenditure on claims of compensations arising out of accidents in cases other than court award.	Administrative Department Transport Commissioner General Manager, Haryana Roadways	Upto Rs.25,000/- in each case. Upto Rs.5,000/- in each case. Upto Rs.1,000/- in each case; Provided that all cases which reveal negligence on the part of any individual should be communicated to the Accountant General through the Finance Department and advice of Legal Remembrancer is obtained before making any payment.
74	To sanction expenditure for MACT cases settled in:—	Administrative Department	Full powers.
	(i) Lok Adalat in High Court or at Distt. Level	Transport Commissioner	Upto Rs. 5 lakh.
		General Manager, Haryana Roadways	Upto Rs. 1.50 lakh.
75	To sanction expenditure on purchase of tyres and tubes	General Manager, Haryana Roadways	Full powers subject to the conditions that:— (i) Purchase is made at the rates fixed by Director, Supplies and Disposals; (ii) Purchase of tyres and tubes should not exceed the requirements of one quarter at a time; (iii) that the number of kilometers run by tyres or tubes replaced are to be intimated to the Transport Commissioner for checking in his office.
76	To sanction expenditure for supply of uniform to drivers, conductors and other staff, who are required to wear the uniform	Heads of Departments and offices	Full powers ; subject to the rates and rules prescribed by the Supplies and Disposals Department.
	(15) WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT		
77	To sanction expenditure on purchase of Food Commodities under the supplementary nutrition programme Integration Child Development Services.	(i) Heads of Departments	Full powers.
		(ii) All Deputy Commissioners and Additional Deputy Commissioners	Full powers.

Note:— (1) These powers shall be exercised within budget provisions as provided in Chapter XVII and financial sanction of the competent authority as provided in Chapter XVIII of Punjab Financial Rules Volume - I.

(2) Commissioners of Divisions and Deputy Commissioners shall exercise the powers of Heads of Departments and Controlling Officers respectively.

(3) The powers delegated to the subordinate authorities can also be exercised by the higher authority as mentioned in Note below rule 19.4 .

(4) The year means a financial year i.e. beginning on the 1st of April and ending on the 31st March following".

BHASKAR CHATTERJEE,
Financial Commissioner and Principal Secretary
to Government Haryana, Finance Department.

40721—C.S.—H.G.P., Chd.